

12/2/21

आज यह पत्रावली दावा पत्रावली के साथ पेश हुई।
प्राचीन गज की मूल दावा पत्रावली आज अदम दोजरी
अदम पैरवी में खाशियत की जा चुकी है। खेरी
शि-घरि में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं
रह गया है। अतः यह पत्रावली अग्रिम कार्रवाई
के लिए अदम दोजरी अदम पैरवी में खाशियत की
जाती है। खेरी में जारी ~~का~~ अन्तरिम आदेश
निरस्त किये जाते हैं। प्रथम सुनवाई 11 नवंबर
को होगी। बाद तक मील अलॉन मूल दावा रहे।
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

